4825/15
2/6/1/16

(42)

प्रारूप क्रमांक 1

(देखिये नियम 3)

समितियों के पंजियन हेतु ज्ञापन-पत्र

1. **The Name of the society shall be** Abhedya education and welfare society होगा।

2. **The Head office of the Society shall be situated at** E2/63 ARERA COLONY BHOPAL 462016 तहसील Huzur जिला Bhopal मध्य प्रदेश में स्थित होगा। सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव) 8959222777 ईमेल आईडी amitabh.soni@gmail.com

3. **The objects of the society shall be as under :-**

1. Promoting educational activities for the underprivileged sections of the society
2. Strengthening democratic institutions public participation
3. Creating clean green india
4. Supporting establishing schools colleges with a view to benefit the society at large.
5. Promote and be apart of electronic governance initiates Create awareness in villages about the power functions of Gram Sabhas
6. Working towards empowering Resident Welfare Associations Mohalla Sabhas.
7. Promote and be apart of electronic governance initiates
8. Device innovative strategies for women child welfare

4. 4. The management of affairs of the society is entursted by the Regulations of the society to the Governor , Council of Directors, Committee or Governing Body, Whose names, addresses and occupation are specified below :-

S.No	Name	Father/Husband Name	Designation	Full Address	Occupation
1	Amitabh Soni	C P Soni	अध्यक्ष	E-2/63 Arera Colony Bhopal, E-2/63 Arera Colony Bhopal, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	private work
2	Lokendra singh Thakur	Tej singh Thakur	उपाध्यक्ष	near hanuman mandir chanakyapuri sehore, near hanuman mandir chanakyapuri sehore, Sehore, Sehore, Madhya Pradesh	PRIVATE WORK

(43)

3	Sarfaraz Hasan	Mr Badrul Hasan	सचिव	2/1 Lalwani Press Road, Azad Market Bhopal, 2/1 Lalwani Press Road, Azad Market Bhopal, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	PRIVATE WORK
4	Ms Neelam Solanki	Late Mohan Singh Solanki	कोषाध्यक्ष	Dk5/67,danish kunj,kolar road Bhopal, Dk5/67,danish kunj,kolar road Bhopal, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	PRIVATE WORK
5	Mayank Mudgal	Shri Mahesh Mudgal	संयुक्त सचिव	f no 301, J-1, fortune divine city phase 2, misrod, f no 301, J-1, fortune divine city phase 2, misrod, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	private work
6	Shanul Jain	Shri K.C.Jain	सदस्य	:F-103, Shalimar campus, Gulmohar, E-8 Arera Colony, Bhopal, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	private work
7	Priyam Jain	mr.Pradeep jain	सदस्य	old bus stop near puliya silwani, old bus stop near puliya silwani, Silvani, Raisen, Madhya Pradesh	private work

5. समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की ...

(44)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है।

हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन-पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

S.No	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते, पिता/ पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
1	Amitabh Soni , C P Soni, E-2/63 Arera Colony Bhopal, E-2/63 Arera Colony Bhopal, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	
2	Lokendra singh Thakur , Tej singh Thakur, near hanuman mandir chanakyapuri sehore, near hanuman mandir chanakyapuri sehore, Sehore, Sehore, Madhya Pradesh	
3	Sarfaraz Hasan , Mr Badrul Hasan, 2/1 Lalwani Press Road, Azad Market Bhopal, 2/1 Lalwani Press Road, Azad Market Bhopal, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	
4	Ms Neelam Solanki , Late Mohan Singh Solanki, Dk5/67,danish kunj,kolar road Bhopal, Dk5/67,danish kunj,kolar road Bhopal, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	
5	Mayank Mudgal , Shri Mahesh Mudgal, f no 301, J-1, fortune divine city phase 2, misrod, f no 301, J-1, fortune divine city phase 2, misrod, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	
6	Shanul Jain , Shri K.C.Jain, : F-103, Shalimar campus, Gulmohar, E-8 Arera Colony, Bhopal, Huzur, Bhopal, Madhya Pradesh	
7	Priyam Jain , mr.Pradeep jain, old bus stop near puliya silwani, old bus stop near puliya silwani, Silvani, Raisen, Madhya Pradesh	

सोसाइटी से संबंधित दस्तावेज संलग्न करे

चालान क्रमांक SBIN000615914752805201536668

नियमावली

पदाधिकारी के पहचान पत्र की जानकारी

पहचान पत्र के लिये Passport　　　　पहचान पत्र क्रमांक Z2158168

(43)

पदाधिकारी के पता की जानकारी

पता के लिये Passport

पते का क्रमांक Z2155168

Uploaded ID Proof

Uploaded Address Proof

साक्षी:-

हस्ताक्षर :- ....

साक्षी का नाम :- VIVEK SENGAR

साक्षी का पिता/पति:- B B S SENGER

पूर्ण पता :- 278 AADHARSHILA WEST BLOCK AWADHPURI BHOPAL PIN 462021

प्रमाणित प्रति

शुल्क रुपए 2.00 ... 2824

दिनांक 7-11-16

जावेजों की प्रमाणित प्रति है ।

तो होने की दिनांक ----------------------

सहायक के हस्ताक्षर

T.C.

सहा. रजिस्ट्रार

फर्म्स एवं संस्थायें

भोपाल संभाग, भोपाल

7/11/2016

Abhadya Education & Welfare Society BHOPAL (M.P.)

https://...

(46)

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये

FIVE RUPEES

रु.5

Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

13AA 436656

BHOPAL (M.P.)

(47)

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

13AA 436657

CANCELLED

फर्मों एवं संस्थाएं

Abhadya Education & Welfare Society BHOPAL (M.P.)

48

नियमावली

1.	The Name of the society shall be Abhedya education and welfare society होगा।
2.	The Head office of the Society shall be situated at E2/63 ARERA COLONY BHOPAL 462016 तहसील हुजूर जिला भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
3.	सोसाइटी का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश
4.	**The objects of the society shall be as under :-**
1	Promoting educational activities for the underprivileged sections of the society
2	Strengthening democratic institutions public participation
3	Creating clean green india
4	Supporting establishing schools colleges with a view to benefit the society at large.
5	Promote and be apart of electronic governance initiates Create awareness in villages about the power functions of Gram Sabhas
6	Working towards empowering Resident Welfire Associations Mohalla Sabhas.
7	Promote and be apart of electronic governance initiates
8	Device innovative strategies for women child welfare
5.	सोसाइटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गों के होंगे:-
	(क) संरक्षक सदस्यः वह व्यक्ति जो रुपये 1000/- या अधिक एकमुश्त दान करता है या एक साल के भीतर बारह किश्तों में भुगतान करता है, सोसाइटी का संरक्षक सदस्य होगा।
	(ख) आजीवन सदस्यः वह व्यक्ति जो रुपए 500/- या अधिक का भुगतान करता है, सोसाइटी का आजीवन सदस्य होगा।
	(ग) साधारण सदस्यः वह व्यक्ति जो रुपए 10/- प्रतिमाह या रुपए 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके कि लिए वह अंशदान करेगा।
	(घ) अवैतनिक सदस्यः सोसाइटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मानसेवी सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मिलन में भाग ले सकते हैं, परंतु वे मत देने के हकदार नहीं होंगे।
6.	सदस्यता की प्राप्ति-प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का

	अधिकार होगा।
7.	सदस्यों की योग्यता- संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है:- 1.आयु 18 वर्ष से कम न हो। 2. भारतीय नागरिक हो। 3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो। 4.सद्चरित्र हो तथा मधपान न करता हो।
8.	सदस्यता की समाप्ति- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जायेगी:- 1. मृत्यु हो जाने पर। 2.पागल हो जाने पर। 3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर। 4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर। 5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।
9.	संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे:- 1.प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर 2.वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया व रसीद नंबर। 3.वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।
10.	(अ) साधारण सभा- साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा। (ब)प्रबंधकारिणी सभा- प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक

सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।

(स) विशेष- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्यः-

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पति की ठीक व्यवस्था करना।

(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।

(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।

(छ) बजट का अनुमोदन करना।

12. प्रबंधकारिणी का गठन- नियम 5 ((अ), (ब), (स)) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।
(1)अध्यक्ष -1,(2)उपाध्यक्ष -1,(3)सचिव -1,(4)कोषाध्यक्ष -1,(5)संयुक्त सचिव -1,(6)सदस्य -2

13. प्रबंध समिति का कार्यकाल- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्ठ कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किंतु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. प्रबंधककारिणी के अधिकार व कर्तव्य-

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय व्यय लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

S4230102408728052015

(5)

	(स) समिति एवं उनके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल अचल सम्पति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना। (द) कर्मचारियों,शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना। (इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए। (च) संस्था की समस्त चल अचल सम्पति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी। (छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आंतरित नहीं की जाऐगी।
15.	अध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में समान मत होने पर निर्णयात्मक होगा।
16.	उपाध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।
17.	सचिव(मंत्री) के अधिकार- (क) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना। (ख) समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षक से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना। (ग) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना। (घ) सचिव, एक समय में रु. 5000/- तक की राशि मंजूर करने हेतु प्राधिकृत होगा।
18.	संयुक्त सचिव के अधिकार- सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा
19.	कोषाध्यक्ष के अधिकार- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।
20.	बैंक खाता- सोसाइटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में जमा की

Abhedya Education & Welfare Society BHOPAL (M.P.)

(52)

	जावेगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष/सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा। प्रतिदिन के व्यय के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रु. 5000/- रहेंगे।
21.	संशोधन- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा, यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।
22.	विघटन- संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
23.	सम्पत्ति- संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

T. C.

सहा. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल संभाग, भोपाल

Abhedya Education & Welfare Society BHOPAL (M.P.)

(53)

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 13AA 436658

CANCELLED

अति. रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थायें
भोपाल संभाग संभाग, भोपाल

(54)

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

13AA 436659

CANCELLED

स्टाम्प विक्रेता के हस्ताक्षर

आनिता